संख्या– 96 /XV-2/01(14)/2006 T.C

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2016:

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, श्रीनगर के लिए पानी के कनेक्शन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1198–99/लेखा दु0 का सुदृढ़ीकरण पत्रा0/2015–16, दिनांक 04 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, श्रीनगर हेतु पानी के कनेक्शन के निर्माण कार्यों हेतु गठित आगणन टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि रू0 3.67 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 2.78 लाख एवं रू0 9.29 लाख के कार्य (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार) अर्थात कुल धनराशि रू0 12.07 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 9.87 लाख (रूपये नौ लाख सतासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, श्रीनगर के लिए पानी के कनेक्शन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 2.78 लाख एवं रू0 9.29 लाख के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किये जायेंगे।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–10–दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–187(P)/XXVII-4/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या– 96 /XV-2/2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।